

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
-:: मंत्रालय ::-
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 22/ए/229/2016-17/एमपीएस/31/1128
प्रति,

दिनांक 26/05/2016

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल (म.प्र.)


विषय:- राजघाट परियोजना की भाण्डेर मुख्य नहर कि.मी. 0 से 48.80 कि.मी. तक लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

-----:0000:-----

वित्तीय व्यय समिति की द्वितीय बैठक (वर्ष 2016-17) दिनांक 18-05-2016 में राजघाट परियोजना की भाण्डेर मुख्य नहर कि.मी. 0 से 48.80 कि.मी. तक लाईनिंग कार्य हेतु लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन एतद द्वारा राजघाट परियोजना की भाण्डेर मुख्य नहर कि.मी. 0 से 48.80 कि.मी. तक लाईनिंग कार्य हेतु रुपये 3883.31 लाख (अड़तीस करोड़ तीसाली लाख इक्तीस हजार) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना का सैच्य क्षेत्र 1,93,000 से बढ़कर 2,04,900 हेक्टर हो जायेगा।

2. उपरोक्त कार्य मद संख्या लेखाशीर्ष 23/4700/21/800 (मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(प्रमोद कुमार खरे)
अवर सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

दिनांक 26/05/2016

पृष्ठा. क्रं. 22/ए/229/2016-17/एमपीएस/31/1128
प्रतिलिपि :-

- (1) अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल।
- (2) मुख्य अभियंता, ई-प्रोक्योरमेंट, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- (3) मुख्य अभियंता, राजघाट नहर परियोजना, दतिया।
- (4) कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर मुख्य नहर संभाग, भाण्डेर जिला दतिया।
- (5) वेब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, पाईकू जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर आदेश विभागीय वेब साईट पर प्रकाशित करने हेतु।


26.5.16
अवर सचिव,

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग